दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489 www.uvindianews.com प्रधान सम्पादक: सत्येन्द्र सिंह

वर्ष : 15 ▶ अंक : 5 ▶ गाजियाबाद, मई, 2019 ▶ मूल्य : 4 रूपया ▶ पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@gmail.com

किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में फौजियों के बारे में...P-8

❑ बहुत सी कम्पनियों में एचआरए मूल वेतन का 200 प्रतिशत तक होता है, यानि अगर मूल वेतन 10000 रु है तो एचआरए 20000 रु होगा, जो कि न्याय संगत नहीं है और इस पर पी एफ की देनदारी बन सकती है।

पीएफ पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मूल वेतन बढ़ने से पूरे भारत में कम्पनियों का बजट बिगड़ा

सत्येन्द्र सिंह (श्रम एवं कानून सलाहकार)

–उद्योग विहार (मई 2019)–

गाजियाबाद। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद कि कर्मचारियों के मूल वेतन की गणना बदल गयी है। सूर्या रौशनी के केस में यह महत्वपूर्ण निर्णय आया है जिसमें सभी विशेष भत्तों को मूल वेतन माना गया है। और पी एफ की गणना मूल वेतन पर ही की जाती है। अभी तक अधिकांश कम्पनियाँ मूल वेतन में सिर्फ न्यूनतम वेतन दिखाती थी, तथा शेष वेतन अन्य भत्ते के रूप में दिखाती थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए सभी विशेष भत्तों को मूल वेतन में शामिल करने का आदेश पारित किया है।

अब आप सिर्फ एच आर ए में ही पी एफ बचा सकते हैं लेकिन एच आर ए भी मूल वेतन का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

–सत्येन्द्र सिंह

श्रम कानून सलाहकार

सभी कम्पनियाँ इस समय अपने कर्मचारियों के वेतन की गणना करने में लगी हैं तथा उनके वेतन के ढाँचे को इस तरह बनाने में लगी हैं ताकि कम से कम लागत बढे।

आज की तारीख में तो सिर्फ एच आर ए को ही मूल वेतन से अलग रखा गया है। हालाँकि लोगों ने भी बहुत अति कर रखी थी। पी एफ को बचाने के लिए एच आर ए का प्रतिशत मूल वेतन का 200 प्रतिशत तक था। कम्पनियों में सिगरेट भत्ता, शराब भत्ता, डेटिंग भत्ता दिया जाने लगा था तभी से विवादों की संख्या भी बढ़ गयी थी जिसका खामियाजा अब सभी को भुगतना पड़ रहा है। बहुत से कर्मचारियों के बच्चे नहीं हैं फिर भी

❑ हालाँकि सूर्या रौशनी वालों ने पुनर्विचार याचिका लगाई है लेकिन अब कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

उनको बच्चों की पढाई का भत्ता दिया जा रहा है।

सत्येन्द्र सिंह श्रम कानून सलाहकार का कहना है कि अब आप सिर्फ एच आर ए में ही पी एफ बचा सकते हैं लेकिन एच आर ए भी मूल वेतन का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह फैसला पीछे से लागू होगा। और आपका पीछे का रिकॉर्ड भी देखा जा सकता है। लेकिन पीछे के वेतन ढांचे में अब कोई बदलाव संभव नहीं है अतः आप इस महीने से सही कर लें तो सही रहेगा। हालाँकि सूर्या रौशनी वालों ने पुनर्विचार याचिका लगाई है लेकिन अब कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। भविष्य निधि विभाग ने भी इस संबन्ध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।

एन.के. सिंह

गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रथम) एन के सिंह का कहना है कि ब्रिज एंड रूफ के केस में यह निर्णय पहले भी आ चुका है। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाना सुनिश्चित करवाएंगे।

गुरूग्राम के सहायक भविष्य निधि आयुक्त राजू कुमार का कहना है की हम पहले से ही इसका पालन कर रहे थे और जो भी विशेष भत्ते या अन्य भत्ते होते थे उनको मूल वेतन का ही भाग मानते थे। सभी कम्पनियों को पी एफ को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और नियम का पालन करना चाहिए अन्यथा आपने जितना बचाया है उसका कई गुना आपको ब्याज और पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। हम ऑडिट/इंस्पेक्शन में जो भी आपत्तिजनक भत्ते होंगे, उनको मूल वेतन का भाग मानेंगे, और जो भी देनदारी बनेगी वो निकालेंगे। यह आदेश पहले से प्रभावी होगा, न की आज से।

राजू कुमार

बहुत सी कम्पनियों में एचआरए मूल वेतन का 200 प्रतिशत तक होता है, यानि अगर मूल वेतन 10000 रु है तो एचआरए 20000 रु होगा, जो कि न्याय संगत नहीं है और इस पर पी एफ की देनदारी बन सकती है। बहुत सी कम्पनियाँ 15001 या 15100 रु मूल वेतन में दिखाकर पी एफ बचाना चाहती हैं, जबकि हकीकत में उनका वेतन 15000 से काफी कम होता है, फिर वे कार्य के दिन कम करके वेतन बनाते हैं, जो की सरासर गलत है और इसमें गलत नियत (mala- fide intention) साफ सिद्ध होती है। जो की अंततः पी एफ की देनदारी (ब्याज एवं जुर्माने के साथ) में बदल सकती है।

बी.के. बहेरा

हालाँकि बहुत से कानून के जानकार इस फैसले को बड़ा ही उलझा हुआ फैसला बता रहे हैं, और कह रहे हैं की इस फैसले के बाद विवाद और बढ़ेंगे। सूर्या रौशनी के वाईस प्रेसिडेंट बी के बहेरा का कहना है की हमने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।

महेश सिंह

सहायक भविष्य निधि आयुक्त महेश सिंह का कहना है की इस आदेश की प्रभावी तिथि वर्ष 1952 होगी। और पी एफ की गणना एचआरए और ओवर टाइम पर नहीं होगी। साथ ही पी एफ उत्पादन प्रोत्साहन भत्ते पर भी नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप सभी कर्मचारियों को यह भत्ता दे रहे हैं तो यह मूल वेतन का भाग माना जायेगा।

इस आदेश के आने के बाद से लोगों की उत्सुकता इस बात में ज्यादा है कि यह आदेश कब से प्रभावी होगा। तो यहां पर यह स्पष्ट करना है कि यह आदेश पूर्व में कई हाईकोर्ट के आदेशों के संबंध में दिया गया है और कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट में यह पहले से दिया है। लेकिन चूंकि एक्ट में मूल वेतन की परिभाषा को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसी कारण लोग गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं तथा पीएफ विभाग एवं कंपनियों के बीच विवादों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। अब सरकार को चाहिए कि एक्ट में बदलाव करते हुए मूल वेतन की परिभाषा को फिर से परिभाषित करें और इसके लिए बिल लाकर लोकसभा से कानून को पास करवायें।

www.legalipl.com

पीएफ मूलवेतन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विश्लेषण

मूलवेतन की परिभाषा

शामिल किया जाना है	शामिल करने की आवश्यकता नहीं है
मूलवेतन	एचआरए
महंगाई भत्ता	उत्पादन प्रोत्साहन (प्रोत्साहन योजना के लिए उचित मैट्रिक्स (पक्षमेंडाटा) की आवश्यकता)
वाहन भत्ता	ओटी (अतिरिक्तकार्यघण्टे)
अन्य भत्ता	नाइट शिफ्ट अलाउंस (पर मासिक वार अलग-अलग होना चाहिए)
विशेष भत्ता	उपस्थिति भत्ता
एलटीए	धुलाई भत्ता (यदि यूनिफार्म देते हैं।)
टेली (रिमोटएरिया) और फूड के नाम पर फिक्स्ड भत्ता	कैंटीन भत्ता (यदि कैन्टीन है।)
पेट्रोल प्रतिपूर्ति (बिना बिल के)	पेट्रोल प्रतिपूर्ति (बिलों का प्रमाण होना आवश्यक है)
अवकाश प्राप्त भत्ता	बोनस और कमीशन
सीसीए या कोई अन्य भत्ता फिक्स्ड के रूप में भुगतान किया जाता है	किसी भी भत्ते को परिवर्तनीय या केवल निश्चित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भुगतान किया जाता है

– किसी कर्मचारी की उत्पादकता से जुड़े किसी भी भत्ते को मूल मजदूरी नहीं माना जाएगा

निर्णय की तिथि : 28 फरवरी 2019

सामान्य प्रश्न (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

शेष पृष्ठ 5 पर

www.legalipl.com

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

श्रम—जगत

02 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, मई, 2019

MINIMUM WAGES IN DIFFERENT STATES

U.P MINUMUM WAGES GENERAL /ENGINEERING				GUJRAT MINIMUM WAGES	PUNJAB MINIMUMWAGES	HARYANA MINIMUMWAGES	UTTARAKHAND MINIMUMWAGES
	U.P. GENERAL	U.P. ENGG. BELOW 500	U.P. ENGG. ABOVE 500	MINIMUM WAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES
	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.
	01/04/19 TO 30/09/2019	01/02/19 TO 31/07/2019	01/02/19 TO 31/07/2019	01/04/2018 TO 30/09/2018	3/1/2018	1/1/2019	01-10-2018 TO 31-03-2019
CATEGORY OF WORKERS	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC +DA	ZONE-I BASIC+DA ZONE-II	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA
UN SKILLED	8021.52	9380.31	9834.20	8213.40 8005.40	7852.17	8827.40	8331.00
SEMISKILLED	8823.67	10300.69	10817.62	8421.40 8213.40	8632.17	*	8924.00
SEMISKILLED-A	*	*	*	* *	*	9268.75	*
SEMISKILLED-B	*	*	*	* *	*	9732.18	*
SKILLED	9883.90	11435.41	11801.04	8655.40 8421.40	9529.17	*	9518.00
SKILLED A	*	*	*	* *	*	10218.79	*
SKILLED B	*	*	*	* *	*	10729.74	*
HIGHLY SKILLED	*	*	*	* *	10561.17	11266.23	*

	DELHI MINIMUM WAGES	RAJASTHAN MINIMUM WAGES
	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES
	W.E.F.	W.E.F.
	10/1/2018	5/1/2019
CATEGORY OF WORKERS	BASIC+DA	BASIC+DA
UN SKILLED	14000.00	5850.00
SEMISKILLED	15400.00	6162.00
SEMISKILLED-A	*	*
SEMISKILLED-B	*	*
SKILLED	16962.00	6474.00
SKILLED A	*	*
SKILLED B	*	*
HIGHLY SKILLED	*	7774.00

6 करोड़ कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, ईपीएफ पर 2018-19 के लिए मिलेगा 8.65 प्रतिशत ब्याज

—उद्योग विहार (मई 2019)—

नोएडा। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018—19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.65 प्रतिशत ब्याज देने के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। ईपीएफओ के 6 करोड़ सदस्यों को इसका फायदा मिलेगा। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने ईपीएफओ के 2018—19 के लिए अपने सदस्यों को ईपीएफ पर 8.65 प्रतिशत ब्याज देने के निर्णय पर अपनी सहमति दे दी है। सूत्रों ने बताया कि वित्तीय सेवा विभाग ने रिटायरमेंट फंड के पर्याप्त प्रबंधन से संबंधित कुछ शर्तों को पूरा करने के आधार पर ईपीएफओ के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे पहले फरवरी में, ईपीएफओ की निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जिसके अध्यक्ष श्रम मंत्री संतोष गंगवार हैं, ने 2018—19 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.65 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था।

ईपीएफ की ब्याज दर में तीन साल बाद यह वृद्धि की गई है। 2017—18 में ईपीएफ पर ब्याज की दर 8.55 प्रतिशत थी। ईपीएफओ ने 2016—17 में ब्याज दर को घटाकर 8.65 प्रतिशत किया था जो कि 2015—16 में 8.8 प्रतिशत थी। वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और श्रम मंत्रालय 2018—19 के लिए ब्याज दर की अधिसूचना जारी करेंगे।

इसके बाद ईपीएफओ अपने 120 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों को सदस्यों के खाते में ब्याज दर जमा करने का निर्देश देगा। ईपीएफओ के अनुमान मुताबिक ईपीएफ पर 2018—19 के लिए 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के बाद 151.67 करोड़ रुपए का अधिशेष बचेगा। यदि 8.7 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा तो 158 करोड़ रुपए का घाटा सहन करना पड़ेगा। इसलिए संस्था ने 2018—19 के लिए 8.65 प्रतिशत ब्याज देने का निर्णय लिया है।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.

❖LABOUR LAWS ❖HR MANAGEMENT
❖PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT
❖SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)

http://www.legalipl.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
legalipl243@gmail.com

TAKSHAK
MANAGEMENT INDIA PVT LTD

❖ EVENTS MANAGEMENT
❖ PR MANAGEMENT
❖ ARTISTS MANAGEMENT

http://www.takshakindia.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C,
Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
takshakindia@gmail.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक सगाचार पत्र
दिल्ली–एनसीआर
03
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, मई, 2019
P.

सीजेआई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजेआई के कार्यालय को निष्क्रिय करने के लिए रची गई है बड़ी साजिश

–उद्योग विहार (मई 2019)–

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मी द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगाई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने के संबंध में मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट के बाद शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन जज सदस्यीय बेंच ने विशेष सुनवाई की। इस बेंच में खुद सीजेआई, जस्टिस अरूण मिश्रा व जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे। रजिस्ट्री की तरफ से जारी नोटिस में बताया गया है कि यह विशेष सुनवाई एक महत्वपूर्ण मामले पर विचार करने के लिए की गई थी, जो कि आम जनहित का है क्योंकि इस मामले से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को छूआ गया है। सीजेआई ने माना कि उनको वायर, लीफलेट, कारवन एंड स्क्रोल से सूचना मिली है और कहा कि– मैं इस मामले में यही कहना चाहता हूं इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सभी कर्मचारियों के साथ अच्छा व निष्पक्ष व्यवहार किया जाता है। आरोप लगाने वाली कर्मी सिर्फ डेढ़ महीना काम करके गई थी। अब आरा.`प लगाए गए है और मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि इन आरोपों के जवाब दूं। उन्होंनें आगे कहा कि– बीस साल निस्वार्थ सेवा की है। अब यह अविश्वसनीय है कि मेरे बैंक खाते में मात्र 6,80000 रुपए है। यही मेरी कुल पूंजी है। जब मैंने बतौर जज काम करना शुरू किया, मुझे बहुत उम्मीद थी, परंतु अब जब मैं रिटायर होने के करीब हूं, मेरे पास मात्र 6,80000 रुपए है। यही मेरी मेहनत का ईनाम है। सीजेआई ने कहा कि उनको विश्वास है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे कोई बड़ी साजिश है। ऐसा उन लोगों ने किया है जो सीजेआई के कार्यालय को निष्क्रिय करना चाहते है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वायत्ता गंभीर खतरे में है।

अगर जजों को ऐसी परिस्थितियों के तहत काम करना होगा,तो अच्छे लोग इस कार्यालय में कभी नहीं आएंगे। मैं इस देश के नागरिकों से कहना चाहता हूं इस देश की न्यायपालिका गंभीर खतरे में है। उन्होंने यह भी साफ किया कि वह बिना डरे अपना काम करते रहेंगे। सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन आरोपों को ब्लैकमेल करने की तकनीक करार दिया, वहीं अटॉर्नी जनरल के.के वेणुगा.`पाल ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर करते हुए कहा नाम छाप दिए गए है,जबकि कानूनी तौर पर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस अरूण मिश्रा, जो मामले की सुनवाई कर रही खंडपीठ में शामिल थे,

उन्होंने कहा इस समय हम कोई न्यायिक आदेश नहीं दे रहे है। यह मीडिया के विवेक पर निर्भर करता है कि वह खुद निर्धारित करे कि क्या छापना है और क्या नहीं। सीजेआई ने इस मामले पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि अगर इसी तरह के हमले होते रहेंगे तो कोई जज किसी केस में फैसला ही नहीं कर पाएगा। हमारे पास अपना मान–सम्मान ही होता है, जो हमें मिलता है। अगर इस पर भी हमला किया जाएगा तो क्या होगा। बेंच ने कहा कि एक उचित बेंच यौन उत्पीड़न के आरोपों की सुनवाई करेगी। क्या है मीडिया रिपोर्ट स्क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व जूनियर कोर्ट असिस्टेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को पत्र लिखकर सीजेआई रंजन गोगाई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। 28 पेज के इस पत्र में, जो कि एक हलफनामे की तरह था, पूर्व कर्मचारी ने कहा कि उन्होंने जब सीजेआई का कहा नहीं माना तो इस कारण उसे व उसके परिवार को प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। अपने इस हलफनामे में उसने उस वातावरण के बारे में बताया जो उसने बतौर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के नौकरी शुरू करने के दिन से देखा था। उसने बताया कि 11 अगस्त 2018 को उसने नौकरी शुरू की थी। उसे सीजेआई रंजन गोगाई के आवास पर स्थित कार्यालय में तैनात किया था। इसके बाद कुछ सप्ताह में ही उसका तीन बार तबादला किया गया। पहला 22 अक्टूबर 2018 को उसे सीआरपी यानि सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग, उसके बाद एडमीन मैटिरियल सेक्शन और अंत में उसे 22 नवम्बर 2018 को लाईब्रेरी में भेज दिया गया।

हालांकि 19 नवम्बर को उसे एक मैमोरंडम भेजकर बताया गया था कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। दिसम्बर 2018 को उसे बर्खास्त कर दिया गया। उसे पति दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है। जो जून 2013 से कार्यरत है। उसके पति का भी अचानक क्राइम ब्रांच डिविजन से तबादला कर दिया गया है। उसने दावा किया है कि उसे इस आरोप में गिरफतार किया गया थाकि उसने एक व्यक्ति से वर्ष 2017 में पचास हजार रुपए लिए थे। उसने उस व्यक्ति से वादा किया था वह उसे सुप्रीम कोर्ट में नौकरी दिलवा देगी, परंतु वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाई थी। सुप्रीम कोर्ट का जवाब सेक्रेटरी जनरल ने कई मीडिया हाउस को भेजे अपने जवाबी मेल में कहा है कि–महिला ने जितने दिन काम किया है, चाहे उसमें सीजेआई का आवासीय कार्यालय शामिल हो या फिर जहां–जहां उसे तबादला करके भेजा गया था या जिस समय उसे बर्खास्त किया गया या उसके बाद भी। उसने इस तरह की कोई शिकायत नहीं की, जिस तरह के आरोप अब लगाए है। यह एक दुष्ट भावना से लगाए गए आरोप ही नहीं बल्कि बाद में सोची–समझी मनघंड़त कहानी के तहत ऐसे आरोप लगाए गए है। ऐसा लग रहा है कि यह सभी आरा.`प दबाव बनाने की नीति के तहत लगाए गए है। ताकि वह उन सभी कार्यवाहियों से बच सके जो उसके व उसके परिवार के खिलाफ चल रही है।

जबकि वह सभी कार्यवाही उनके द्वारा खुद किए गए गलत कामों के कारण शुरू की गई है। इस बात की भी पूरी संभावना है कि इसके पीछे कुछ दुष्ट या शरारती लोग काम कर रहे हो ताकि इस संस्थान को नुकसान पहुंचा सके या बदनाम कर सके।

आंतरिक चोटों को कवर करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में संशोधन करें: मद्रास उच्च न्यायालय

–उद्योग विहार (मई 2019)–

नई दिल्ली। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन किरुबाकरण ने सिफारिश की है कि केंद्र सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ईएसआई अधिनियम) में संशोधन करती है ताकि कर्मचारियों को आंतरिक चोट भी पहुंचे। अधिनियम के भाग क अनुसूची द्वितीय में उल्लिखित चोट की प्रकृति से, ऐसा लगता है कि 1948 के दौरान नीति निर्माताओं ने केवल बाहरी अंगों पर ध्यान केंद्रित किया था और आंतरिक अंगों पर चोटों की घटना पर ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिए, अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है, ताकि आंतरिक अंगों/ भागों में चोटों और परिणामी विकलांगता को शामिल किया जा सके, ताकि काम करने वालों को फायदा हो। न्यायालय राज्य द्वारा एक अपील के साथ काम कर रहा था कि एक कर्मचारी को उसकी किडनी के नुकसान के लिए दिए गए मुआवजे के पुरस्कार के खिलाफ। कर्मचारी ने अपनी किडनी के नुकसान के कारण आंतरिक चोटों को बरकरार रखा था जो एक दुर्घटना के बाद हुई थी जो उसके रोजगार के दौरान हुई थी। ईएसआई कोर्ट ने उन्हें न्यायसंगत आधार पर मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये की अनुमति दी थी, हालांकि

ईएसआई अधिनियम स्पष्ट रूप से आंतरिक चोटों को कवर नहीं करता है।

मैनुअल लेबर को सर्जरी के बाद सामान्य रूप से काम करने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है, वह भी क्षतिग्रस्त किडनी को हटाने के लिए और सर्जरी के दौरान और किडनी के नुकसान के मद्देनजर भी उसे सावधानी बरतनी पड़ती है और इसलिए, यह है पहली प्रतिवादी/काम करने वाले के लिए सामान्य रूप से काम करना असंभव है, वह भी एक प्लंबर के रूप में एक मैनुअल श्रम के रूप में। इसलिए, किडनी का नुकसान हुआ है, किडनी का नुकसान, स्थायी आंशिक विकलांगता के रूप में माना जाता है. जैसा कि अधिनियम किडनी में चोट या किडनी के नुकसान के बारे में नहीं बोलता है, यह न्यायालय गुर्दे की क्षति को स्थायी आंशिक विकलांगता के रूप में निर्धारित करता है, जो कि एक आंख के नुकसान के बराबर है, बिना किसी जटिलता के..वर्तमान में, ईएसआई अधिनियम की अनुसूची द्वितीय और तृतीय केवल बाहरी चोटों और व्यावसायिक रोगों को सूचीबद्ध करता है। जिसके लिए एक कर्मचारी को अधिनियम के तहत मुआवजा दिया जा सकता है। अधिनियम के दायरे से आंत.रिक चोटों के बहिष्कार को देखते हुए, न्यायालय ने कहा, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि भारत में, विशेष रूप से, मैनुअल मजदूरों के रूप में कार्यरत लोगों की संख्या अधिक है, जिन्हें अपने काम के दौरान आंतरिक चोटों का सामना करना पड़ सकता है, न्यायालय ने सुझाव दिया। सरकार को समान रूप से विचार करना है और कर्मचारियों के राज्य बीमा अधिनियम के साथ–साथ कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 में संशोधन करना है, ताकि आंतरिक चोटों को भी कवर किया जा सके क्योंकि यह अब तक परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए इसने केंद्र को निर्देश दिया कि आंतरिक अंगों, जैसे किडनी, फेफड़े, यकृत आदि से जुड़ी चोटों को अनुसूची की चोटों के रूप में और अनुसूची अक्षमता के रूप में परिणामी अक्षमता को शामिल करने के लिए ईएसआई अधिनियम में संशोधन किया जाए।

असदुद्दीन ओवैसी ने दिया मोदी को श्राप, कहा–नहीं बनेंगे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री

–उद्योग विहार (मई 2019)–

नई दिल्ली। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगला है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर हमला करते–करते ओवैसी ने भाषा की मर्यादा लांघ दी और कहा कि शहीद हेमत करकरे को साध्वी प्रज्ञा का श्राप नहीं लगा, श्राप तो मोदी को इस चुनाव में लगेगा और वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। ओवैसी ने मुंबई हमले के दौरान शहीद हुए हेमंत करकरे पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर कहा, साध्वी ने कहा था कि शहीद पुलिस अधिकारी को श्राप लगा इसलिए उनका अंत हुआ। ये बयान गैरजिम्मेदाराना ही नहीं बल्कि उन बहादुर अफसरों की बेइज्जती है, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से आए आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ओवैसी ने आतंकवाद आरोपी को प्रत्याशी बनाने के लिए भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा,एक आतंकवाद आरोपी को भाजपा ने पुनवार्सित कर दिया। किसी बाहरी के लिए यह बेशर्मी निश्चित ही हतप्रभ करने वाली होगी लेकिन हम इसकी एक रूटीन राजनैतिक रणनीति के रूप में बात कर रहे हैं। यही है भाजपा की

आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलेरेंस पॉलिसी। 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले की मुख्य आरोपी प्रज्ञा ने आरोप लगाया है कि करकरे ने उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया। करकरे इस मामले की जांच कर रहे थे जिसमें छह लोग मारे गए थे और सौ से अधिक घायल हुए थे। महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने प्रज्ञा और हिंदू चरमपंथी समूह के सदस्यों को 24 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार किया था। इसके एक महीने बाद मुंबई पर हमला करने वाले आतंकियों से मुक.ाबला करते हुए करकरे शहीद हुए थे। मई 2106 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मालेगांव विस्फोट मामले में दायर आरा.`पपत्र में प्रज्ञा को क्लीन चिट दी। बाद में उन्हें स्वास्थ्य आधार पर जमानत दी गई। भाजपा ने प्रज्ञा को भोपाल संसदीय सीट पर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के मुकाबले में उतारा है।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
Editorial
04 P.
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, मई, 2019

सम्पादकीय

हमला और सवाल

सत्येन्द्र सिंह

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बुधवार को नक्सलियों के हमले में पुलिस के पंद्रह जवानों की मौत चिंताजनक है। साफ है कि हालात काबू में नहीं हैं और नक्सली पूरी ताकत के साथ हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। वे आए दिन वाहनों को फूंक रहे हैं, सड़क बनाने में लगी मशीनों को आग के हवाले कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। क्या ये सब मामूली घटनाएं हैं? क्या सरकार के लिए यह गंभीर चुनौती नहीं है? सवाल है कि अगर सब कुछ नियंत्रण में है और सरकार नक्लसियों से निपटने में सफल रही है, जैसा कि हमेशा दावा किया जाता रहा है तो फिर ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं? इससे तो लगता है सरकार का खुफिया तंत्र नाकाम है और उसे नक्सलियों के हमलों की भनक तक नहीं लगती। लेकिन बुधवार के इस दहला देने वाले हमले के बाद महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक ने खुफिया नाकामी की बात से साफ इनकार कर दिया। सवाल है कि अगर जरा भी खबर होती कि नक्सली आइईडी से हमला करने वाले हैं तो क्या जवानों को ले जा रहा वाहन वहां से गुजरने दिया जाता! सच यह है कि नक्सलियों ने यह हमला करके खुफिया तंत्र की पोल खोल दी है। गढ़चिरौली जिले में जहां यह हमला हुआ है वह जगह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की सीमा से सटा इलाका है। नक्सलियों ने हमले से कुछ घंटे पहले इस इलाके में एक सड़क निर्माण ठेकेदार की मशीनों और वाहनों को आग लगा दी थी। इसकी खबर मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस के कमांडो दो बसों में सवार में होकर मौके पर जा रहे थे। तभी नक्सलियों ने बारूदी सुरंग को उड़ा डाला। नक्सली इन इलाकों में निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं। उन्हें इस बात का खौफ है कि सड़कों का नेटवर्क खड़ा हो जाने के बाद उनके खिलाफ सुरक्षाबलों के अभियान तेज हो जाएंगे। बुधवार को हमले के वक्त मौके पर करीब दो सौ नक्सली मौजूद थे। हालांकि पिछले साल अप्रैल में पुलिस ने चालीस नक्सलियों को मार गिराया था। तब सरकार ने दावा किया था कि नक्सली अब सिर नहीं उठा पाएंगे। लेकिन एक साल बाद फिर से नक्सलियों ने बड़ा हमला कर अपनी मौजूदगी और ताकत का संदेश देने की कोशिश की है। पिछले महीने दस तारीख को नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक भाजपा विधायक और चार पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। दो साल पहले माओवादी हिंसा से प्रभावित दस राज्यों में एकीकृत कमान के गठन की पहल भी हुई थी और सभी राज्यों की साझा रणनीति बना कर आठ सूत्री समाधान भी तैयार किया गया था। लेकिन बुनियादी समस्या यह है कि नक्सलवाद से निपटने की योजनाएं जिस प्रभावी तरीके से लागू होनी चाहिए, लगता है वे हो नहीं रहीं। सत्ता तंत्र के इस रवैए से लगता है कि वह इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा है। ऐसे में सारी कवायद निष्फल साबित होती है। इसमें पैसा और समय तो जाता ही है, समस्या और गहराती जाती है। नक्सल समस्या दशकों पुरानी हो चुकी है। अगर इतने सालों में भी पिछड़े इलाकों में विकास नहीं हो पाया है और नक्सलियों का दबदबा बना हुआ है तो इसके लिए सीधे-सीधे राज्य और केंद्र सरकारें जिम्मेदार हैं। अगर नक्सलियों की समांतर सत्ता कायम है तो यह उनकी कामयाबी से कहीं ज्यादा हमारे शासन तंत्र की नाकामी का सबूत है। वरना ऐसे बड़े हमले बार-बार नहीं होते!

क्या बंगाल से जायेगा तृणमूल कांग्रेस का राज? हिंसा से सना है इस बार का चुनाव

सत्रहवीं लोकसभा के इस महासंग्राम में हिंसा की घटनाओं पर नियंत्रण बनाये रखने के लिये चुनाव आयोग के प्रयासों की प्रशंसा होनी चाहिए। अमूमन हर बार चुनाव आयोग मतदान के समय साधारण लोगों को डराने–धमकाने, लोभ देने के साथ–साथ हिंसा करने से रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करता है। लेकिन इसके बावजूद देश के बाकी राज्यों की अपेक्षा पश्चिम बंगाल में जिस तरह की खबरें आई उससे साफ है कि अभी तक वहां पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करा पाना चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस चुनौती पर खरे उतर कर ही हम देश में स्वस्थ एवं सशक्त लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल में लो. कतांत्रिक मूल्यों का जिस तरह से मखौल उड़ाया जाता है, वह एक गंभीर चिन्ता का विषय है। वहां चुनावी हिंसा का एक लंबा अतीत रहा है और आमतौर पर वहां हिंसा से मुक्त चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती रही है। मगर हाल के वर्षों में चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से उम्मीद की गई थी कि वहां हिंसा की घटनाओं में कमी आएगी। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद वहां हिंसा, अराजकता, अशांति, डराना–धमकाना, वोटों की खरीद–फरोख्त, दादागिरी की जिस तरह की त्रासद एवं भयावह घटनाएं घटित हो रही है, उसने लोकतांत्रिक मूल्यों के मानक बदल दिये हैं न्याय, कानून और व्यवस्था के उद्देश्य अब नई व्याख्या देने लगे हैं। वहां चरित्र हासिए पर आ गया, सत्तालोलुपता केन्द्र में आ खड़ी हुई। वहां कुर्सी पाने की दौड़ में जिम्मेदारियां नहीं बांटी जा रही, बल्कि चरित्र को ही बांटने की कुचेष्टाएं हो रही हैं और जिस राज्य का चरित्र बिकाऊ हो जाता है उसकी आत्मा को फिर कैसे जिन्दा रखा जाए, चिन्तनीय प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। आज कौन पश्चिम बंगाल में अपने दायित्व के प्रति जिम्मेदार है? कौन नीतियों के प्रति ईमानदार है? कौन लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराने के लिये प्रतिबद्ध है? पश्चिम बंगाल में इस बार चुनावों में व्यापक अराजकता एवं हिंसा की संभावनाएं पहले से ही बनी थी, मतदान रोकने या मतदाताओं को डराने–धमक. ाने के मकसद से हिंसक घटनाएं होने की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा इंतजामों में बढ़ोतरी भी की गई। इसके बावजूद राज्यों के मुर्शिदाबाद में डोमकाल और रानीनगर के अलावा मालदा में भी हिंसा की खबरें सामने आईं। विडंबना यह है कि इसके पहले भी दोनों चरणों में पश्चिम बंगाल में मतदान की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए हिंसक घटनाओं का सहारा लिया गया। तीसरे चरण में मुर्शिदाबाद के बालीग्राम में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें वोट देने के के लिए लाइन में खड़े एक युवक की जान चली गई। सख्त सुरक्षा इंतजामों के बावजद इस घटना के बाद आलम यह था कि वहां अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया और कड़ी मशक्कत के बाद ही सुरक्षा बलों को हालात पर काबू पाने में कामयाबी मिल सकी। प्रश्न है कि इस तरह की हिंसा घटनाओं से लोकतंत्र के इस महाकुंभ में कब तक काले पृष्ठों को जोड़ा जाता रहेगा? सवाल यह भी है कि कुछ बूथों पर आतंक और हिंसक माहौल बनाकर मतदाताओं को वोट देने से कब तक वंचित किया जाता रहेगा? एक गंभीर सवाल यह भी है कि लोकतंत्र के इस यज्ञ में शामिल होने वाले निर्दोष मतदाता कब तक अपनी जान गंवाते रहेंगे? कब तक मनमाने तरीके मतदान कराया जाता रहेगा? अगर यह स्थिति बनी रही तो ऐसी दशा में हुए चुनावों के नतीजे कितने विश्वसनीय माने जाएंगे।

यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पश्चिम बंगाल या देश के किसी भी हिस्से में हिंसा के माहौल में हुआ मतदान लोकतंत्र की कसौटी पर सवालों के घेरे में रहेगा। इस तरह के माहौल से बननी वाली सरकारों को कैसे लो. कतांत्रिक सरकार कहा जा सकता है? लो. कतांत्रिक मूल्यों से बेपरवाह होकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, उससे कैसे आदर्श भारत का निर्माण होगा? सवाल है कि चुनाव में शामिल पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को यह बात क्यों नहीं समझा पाती कि हिंसा की छोटी वारदात भी न केवल लोकतंत्र कमजोर करती है बल्कि यह चुनाव प्रक्रिया पर एक कलंक है। बात हिंसा की ही नहीं बल्कि मतदाता को अपने पक्ष में वोटिंग कराने के लिए अलग–अलग तरीके से प्रभावित करने से लेकर लालच और यहां तक कि धमकी देने तक की भी हैं। विडंबना यह है कि राज्य में लगभग सभी मुख्य पार्टियों को जहां इस तरह के हिंसक हालात नहीं पैदा होने देने की कोशिश करनी चाहिए, वहां कई बार उनके समर्थक खुद भी हिंसा में शामिल हो जाते हैं। अगर चुनाव में भाग लेने वाली पार्टियों को अपने समर्थकों की ओर से की जाने वाली ऐसी अराजकता से कोई परेशानी नहीं है तो क्या वे इस मामले में हिंसा कर सकने और अराजक स्थितियां पैदा करने में समर्थ समूहों को भी स्वीकार्यता नहीं दे रहे हैं? अगर यह प्रवृत्ति तुरंत सख्ती से नहीं रोकी गई तो क्या एक भयावह और जटिल हालात नहीं पैदा करेगी, जहां लोगों के वोट देने के अधिकार का हनन होगा और आखिरकार अराजक तत्वों को संसद में पहुंचने में मदद मिलेगी? पश्चिम बंगाल में सर्वत्र चुनाव शांति, अहिंसक एवं निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने के प्रश्न पर एक घना अंधेरा छाया हुआ है, निराशा और दायित्वहीनता की चरम पराकाष्ठा ने वहां चुनाव प्रक्रिया को जटिल दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। वहां चुनाव गुमराह एवं रामभरोसे ही है। चुनाव के इस महत्वपूर्ण अनुष्ठान को लापरवाही से नहीं संचालित किया जा सकता। हम यह न भूलें कि देश के नेतृत्व को निर्मित करने की प्रक्रिया जिस दिन अपने सिद्धांतों और आदर्शों की पटरी से उतर गयी तो पूरी लो. कतंत्र की प्रतिष्ठा ही दांव पर लग जायेगी, उसकी बरबादी का सवाल उठ खड़ा होगा। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र कितनी ही कंटीली झांड़ियों के बीच फंसा हुआ है। वहां की अराजक एवं अलोकतांत्रिक घटनाएं प्रतिदिन यही आभास कराती है कि अगर इन कांटों के बीच कोई पगडण्डी नहीं निकली तो लोकतंत्र का चलना दूभर हो जायेगा। वहां की हिंसक घटनाओं की बहुलता को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि राजनैतिक लोगों से महात्मा बनने की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, पर वे पशुता पर उतर आएं, यह ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल के भाग्य को निर्मित करने के लिये सबसे बड़ी जरूरत एक ऐसे नेतृत्व को चुनने की है जो और कुछ हो न हो– अहिंसक हो, लोकतांत्रिक मूल्यों को मान देने वाला हो और राष्ट्रीयता को मजबूत करने वाला हो। दुःख इस बात का है कि वहां का तथाकथित नेतृत्व लोकतांत्रिक मूल्यों की कसौटी पर खरा नहीं है, दोयम है और छद्म है, आग्रही और स्वार्थी है, हठ एवं तानाशाही है।

कूटनीतिक कामयाबी

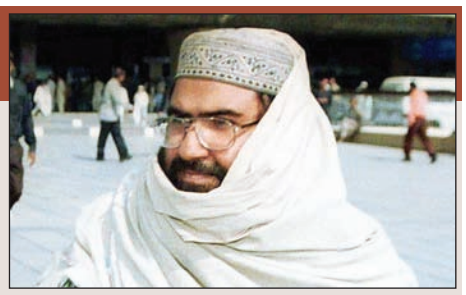

संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश–ए–मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। यानी अब मसूद और उसका संगठन उस काली सूची में आ गया है जिसमें दुनिया के लिए खतरा बने आतंकी संगठन और उनके सरगनाओं को रखा जाता है। भारत के लिए यह बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने के लिए लंबे समय से जारी भारत की कोशिशों में चीन बड़ी बाधा बना हुआ था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में चीन पर सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने जिस तरह से दबाव बनाया, उसी से अंततरू भारत को यह कामयाबी मिली। मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए सुरक्षा परिषद में जितनी बार भी प्रस्ताव लाए गए, चीन हमेशा उन्हें वीटो कर देता था। मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान भी बेनकाब हो गया है। इससे यह साबित हुआ है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे कई आतंकी संगठनों की जन्मस्थली है और आतंक का सारा कारोबार उसकी जमीन से संच. ालित होता है। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आइएसआइ की मदद से ही ये आतंकी संगठन भारत सहित दूसरे देशों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। मसूद के मामले में सुरक्षा परिषद में ताजा प्रस्ताव पुलवामा आतंकी हमले के बाद लाया गया था। अमेरिका ने मसौदा पेश किया था और फ्रांस, ब्रिटेन ने इसका समर्थन किया था। पुलवामा हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के चवालीस जवान शहीद हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी। मसूद अजहर लंबे समय से भारत के लिए वांछित है। मुंबई हमले से लेकर पठानकोट, उड़ी और नगरोटा में सैन्य और नागरिक ठिकानों पर आतंकी हमलों का साजिशकर्ता मसूद अजहर ही रहा है। मसूद अजहर को सबसे पहले 1994 में कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कंधार अपहरण कांड के बाद हुई सौदेबाजी में भारत सरकार ने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद वह पाकिस्तान में जा बसा और भारत के खिलाफ मुहिम चलाता रहा। भारत पर जब–जब आतंकी हमले हुए, जांच एजेंसियों ने पूरी जांच के बाद पुख्ता सबूत जुटाए और पाकिस्तान को सौंपे। लेकिन पाकिस्तान इन सबूतों को तो दूर, मसूद अजहर की अपने यहां मौजूदगी तक को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान घिर गया और उसने यह स्वीकार किया कि मसूद उसके यहां है। चीन शुरू से ही मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के खिलाफ रहा है। दरअसल, चीन और पाकिस्तान के रिश्ते जगजाहिर हैं। पाकिस्तान में उसके कारोबारी हित हैं। चीन–पाक आर्थिक गलियारा सबसे बड़ी परियोजना चल रही है। ऐसे में चीन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा सकता। हालांकि मसूद अजहर के मसले पर चीन के रुख में बदलाव अमेरिका के भारी दबाव और हाल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ हुई मुलाकात के बाद आया है। पिछले महीने ही पहली बार चीन ने यह माना था कि मुंबई का आतंकी हमला दुनिया के सबसे भीषण और कुख्यात हमलों में से एक था। तभी से चीन पर दबाव के संकेत मिलने लगे थे। मसूद अजहर अब वैश्विक आतंकी घोषित तो हो गया, लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसे पाकिस्तान से लाने की है। मसूद को काली सूची में डाल दिए जाने के बाद पाकिस्तान को अब किसी सबूत की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

05 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, मई, 2019

किराया नियंत्रण कानून में तय प्रक्रिया के तहत ही निकाला जा सकता है किसी किराएदायर को-सुप्रीम कोर्ट

–उद्योग विहार (मई 2019)–

नई दिल्ली। 'किराएदार से भवन खाली करवाकर वापिस लेने के लिए लगाए गए प्रतिबंध, किराएदार के लाभ के लिए लगाए गए है,जो वैधानिक नीति संबंधी मामले है।' सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किराया नियंत्रण कानून के तहत एक वैधानिक किराएदार को दिए गए संरक्षण को सिर्फ कानून में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए ही अभिभूत या काबू किया जा सकता है शिवदेव कौर ने एक भवन चंद्र प्रकाश सोनी को किराए पर दिया था। शिवदेव कौर को मिली रियासत के तहत उसे यह अधिकार था वह इस भवन या संपत्ति को किराए पर दे सके और उसका किराया वसूल सके।

कौर की मौत होने के बाद उसके वारिस इस संपत्ति के मालिक बन गए। इन सभी ने किराएदार के खिलाफ केस दायर इस संपत्ति पर कब्जा दिलाए जाने की मांग की। इनका कहना था कि कौर की मौत के बाद किराएदायर अनाधिकार तौर पर घुसने वाला बन गया है। निचली अदालत ने इस केस या सूट अपना निर्णय दे दिया। दूसरी अपील में हाईकोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के

खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डी.वाई चंद्राचूड़ व जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि सोनी के पक्ष में किराएदारी बनाई गई थी,जिसने अब वैधानिक किराएदार(पूर्वी पंजाब अर्बन किराया प्रतिबंध अधिनियम 1949 की धारा 2(आई) के तहत दिए गए किराएदार शब्द की परिभाषा के तहत) का स्थान हासिल कर लिया है। इस स्थान पर अब कौर की मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में याचिकाकर्ता पहले प्रतिवादी को संपत्ति से बाहर करना चाहते है तो इसके लिए उनको उन्हीं आधार या तथ्यों का सहारा लेना होगा,जो कि कानून के तहत उनको मिले है। धारा 13 के तहत वह प्रक्रिया बताई गई है,जिसका पालन करते हुए किराएदार को बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए नियंत्रक मामले में पेश तथ्यों के आधार पर संतुष्ट हाने के बाद ही किराएदार को संपत्ति छोड़ने का आदेश दे सकता है।

एक वैध किराएदार का दिए संरक्षण पर कानून के तहत दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए ही काबू पाया जा सकता है या ओवरकम किया जा सकता है। पीठ ने आगे कहा कि किराएदार से भवन खाली करवाकर वापिस लेने के लिए लगाए गए प्रतिबंध, किराएदार के लाभ के लिए लगाए गए है,जो वैधानिक नीति संबंधी मामले है। हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए पीठ ने कहा कि– इस मामले में किराएदारी बनाने के काम से एक व्यक्ति को जिंदगीभर के हित का लाभ मिल गया था। यह एक ऐसी घटना थी, जिसके तहत किसी महिला ने अपने लिए इस संपत्ति से आय का जरिया बनाया था। ऐसे में किराया नियंत्रण कानून के तहत किराएदार को संपत्ति से बाहर निकालने से मिला संरक्षण कुछ विशेष परिस्थितियों या आधार को छोड़कर वैधानिक निर्देश का परिणाम बन चुका है।

इसीलिए किराएदार को उस संपत्ति में रहने का हक उसकी मालकिन के मरने के बाद भी मिल गया है। इस मामले में उस वैधानिक आदेश का भी हस्तक्षेप है, जो किराएदार के लाभ के लिए दिया गया था। ऐसे में जब एक बार यह आदेश स्थापित हो जाता है तो फिर निचली अदालत के पास खुले तौर पर यह अधिकार नहीं रहता है कि वह उस केस पर विचार करे, जिसमें घर पर कब्जा वापिस लेने के लिए सिर्फ परिकल्पना के आधार पर यह कहा गया हो कि किराएदार जबरन घर में घुसा हुआ है।

साइन बोर्ड बनाने वाली कंपनी से साढ़े आठ लाख रुपये वसूले

–उद्योग विहार (मई 2019)–

नोएडा। एसजीएसटी एसआईबी की टीम ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए साइन बोर्ड बनाने वाली एक कंपनी से जीएसटी और जुर्माने के तौर पर साढ़े आठ लाख रुपये वसूल किए हैं।

एसजीएसटी के अधिकारियों के मुताबिक कंपनी ने टैक्स जमा नहीं किया था और न ही जांच के दौरान स्टाक रजिस्टर मिला है।

एडीशनल कमिश्नर एसआईबी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सेक्टर सात स्थित साइन बोर्ड बनाने वाली एक कंपनी की जांच की गई। कंपनी के पास करीब 22 लाख रुपये का सामान था लेकिन उसकी किसी रजिस्टर में एंट्री नहीं थी। माल में साइन बोर्ड बनाने का सामान रखा हुआ था।

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर टीम ने जांच की और जीएसटी चोरी पकड़ी। उन्होंने बताया कि शाम को यह कार्रवाई की गई। जीएसटी और जुर्माने के तौर पर साढ़े आठ लाख रुपये वसूल किए हैं।

पीएफ मूलवेतन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विश्लेषण

मूलवेतन की परिभाषा

सामान्य प्रश्न (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

1. एचआर के रूप में, परेशानी मुक्त वेतन की गणना करने का बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय क्या होगा?

LEGALIPL : केवल बुनियादी, एचआरए और विशेष भत्ता (धुलाई भत्ता/उपस्थिति भत्ता रखें/ओटी) और वेतन के ढांचे में कोई आकर्षक भत्ता न रखें।

2. इस SC निर्णय के कारण कौन प्रभावित होगा?

LEGALIPL : जो १५,००० से नीचे वेतन पा रहे हैं, वे प्रभावित होंगे, यह उन को प्रभावित नहीं करेगा जो १५,००० वेतन से ऊपर वेतन पा रहे हैं और १५,००० या उससे अधिक के लिए योगदान दे रहे हैं।

3. क्या हाउस रेंट अलाउंस को बाहर रखा गया है यह कुल वेतन का कितना प्रतिशत होना चाहिए?

LEGALIPL : हां। कृपया 50 प्रतिशत से अधिक एचआरए के रूप में नहीं डालें जब ब्रेक अप की गणना की जाती है, तो यह अतिरिक्त पीएफ योगदान को आकर्षित करेगा यदि 50 प्रतिशत से अधिक है।

4. क्या छुट्टी का नकदी करण भी ईपीएफ योगदान को आकर्षित करेगा?

LEGALIPL : मूल वेतन के रूप में विचार करने के लिए EL नकदी करण भत्ता की आवश्यकता नहीं है।

5. क्या उपरोक्त निर्णय से किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी और बोनस की पात्रता पर कोई प्रभाव पड़ेगा?

LEGALIPL : इसके कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यदि आप मूल वेतन नहीं बढ़ाते हैं या अन्य भत्ते जो अब मूल वेतन की परिभाषा में शामिल हो गए हैं को नहीं जोड़ते हैं।

6. क्या पीएफ प्राधिकरण को निर्णय के आधार पर इस पूर्व व्यापी प्रभाव को लागू किया जाएगा?

LEGALIPL : 1 सितंबर 2014 से वेतन सीमा 6.5k से बढ़ाकर 15k कर दी गई, इसलिए पीएफ अधिकारी इस तिथि से लागू करने पर जोर दे सकते हैं, हालांकि केंद्रीय न्यासी बोर्ड के साथ चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है।

7. अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

LEGALIPL : विभिन्न मंचों पर हर जगह यह सामान्य प्रश्न है। सुप्रीमकोर्ट निर्णय में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक के पीएफ कटौती को कुल मजदूरी से गणना की जानी चाहिए, केवल मूल मजदूरी या 15,000 पीएफ सीमा तक की गणना नहीं की जानी चाहिए।

8. अधिक वित्तीय देनदारियों से बचने के लिए HR आपके संगठन की सहायता कैसे कर सकता है?

LEGALIPL : a- सरल ब्रेक अप की गणना करें और कुल 3–4 से अधिक भत्ते से न हों।

b- कर्मचारी को पीएफ अंशदान देयता से छूट दी जा सकती है यदि उनका कुल वेतन 15k से ऊपर है और कभी भी अपने पिछले संगठनों में पीएफ खाता संख्या नहीं ली है। इस विकल्प का चयन करते समय फॉर्म 11 भरें।

इसलिए केंद्रीय पीएफ समिति/पीएफ अधिकारियों के निर्णय के आधार पर प्रभावी/पूर्व व्यापी तिथि भिन्न हो सकती है।

www.legalipl.com

आयकर विभाग कंपनियों के आंकड़े जीएसटीएन से साझा करेगा

–उद्योग विहार (मई 2019)–

नई दिल्ली। इनकम टैक्स विभाग कंपनियों के कई महत्वपूर्ण आंकड़े अब वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ साझा करेगा। इन आंकड़ों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की स्थिति, कुल कारोबार और कंपनी को हुई आय भी शामिल की जाएगी। इस कवायद का मकसद कर चोरी की संभावना को कम करना है।

श्री हनुमान जयंती के अवसर पर विशाल भण्डारे का आयोजन

–उद्योग विहार (मई 2019)–

गाजियाबाद। श्री हनुमान जयंती के अवसर पर जी ब्लाक, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद में भारत विकास परिषद, गाजियाबाद मुख्य शाखा, चन्द्रा स्टूडियो, दुर्गा ज्वैलर्स व विद्या स्टूडेंट सेंटर द्वारा एक विशाल भण्डारे का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर स्वादिष्ट तहरी व हलवा प्रसाद का वितरण किया गया जिसको लगभग 1000 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने गृहण किया। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष प्रवेश चंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष विनीत गोयल, सह सचिव दीपक अग्रवाल, महिला संयोजिका मधु मित्तल, शाखा सदस्य प्रभाकर जे पी, अनिता प्रभाकर, योगेश गुप्ता, श्रीमती अनिता गुप्ता, पीयूष मित्तल, राकेश शारदा, जी डी मित्तल, अनिल वशिष्ठ, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरीश जिन्दल, प्रांतीय महिला संयोजिका योगेश वशिष्ठ, समाज सेवी श्रीराम गोयल व विनय (चन्द्रा स्टूडियो), ललित अग्रवाल (श्री दुर्गा ज्वेलर्स), मो. हित कौशिक (विद्या स्टूडेंट सेंटर) व सोनू के साथ ही समाज के अन्य समा. जसेवी भी उपस्थित रहे।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@gmail.com

आईटी विभाग नकद लेनदेन पर सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बना रहा है

–उद्योग विहार (मई 2019)–

नोएडा। प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य को पूरा करने में विफल, आयकर (आई–टी) विभाग ने नकद लेनदेन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक शुरू किया है। मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों को संपत्ति खरीदने, आभूषण और कारों जैसी लक्जरी वस्तुओं या अस्पतालों में बिलों का भुगतान करते समय नकद का उपयोग करने वालों को दंडित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, आई–टी विभाग 12 लाख करोड़ रुपये के कर संग्रह के लक्ष्य से चूक गया। ''हमें नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निर्देशित किया गया है,'' अधिकारी ने कहा।

''हमने उन संपत्तियों की खरीद में नकद लेनदेन के 27,000 मामलों के बारे में पाया है जहां आई–टी कानूनों का उल्लंघन किया गया था। हमें जल्द ही लगभग 5,500 करोड़ रुपये वसूलने की जरूरत है।''

1 जून, 2015 से प्रभावी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के कानून के अनुसार, अचल संपत्ति में कोई भी लेन–देन, जिसमें कृषि भूमि भी शामिल है, खाता दाता चेक या वास्तविक समय सकल निपटान (आरटीजीएस) या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाना चाहिए। यदि राशि 20,000 रुपये या उससे अधिक है, तो धनराशि स्थानांतरित हो जाती है। यदि लेनदेन नकद में किया जाता है, तो विक्रेता पर आयकर अधिनियम की धारा 271 डी के तहत बराबर राशि का जुर्माना लगाया जाता है।

पिछले वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन के 1,100 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी अन्य व्यक्ति से 2 लाख रुपये या अधिक नहीं प्राप्त कर सकता है। आयकर अधिकारियों ने इस तरह के लेनदेन में लगभग 45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और साथ ही शीर्ष अस्पतालों और लक्जरी ब्रांड के शोरूम पर 45 करोड़ रुपये का उल्लंघन किया।

आरबीआई ने बैंकों से कहा आईएलएंडएफएस को दिए कर्ज का खुलासा करें

–उद्योग विहार (मई 2019)–

नोएडा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया कि वे आईएलएंडएस और उसके समूह की कंपनियों पर अपने बकाया कर्ज का खुलासा करें, जिसमे आय की पहचान और वर्गीकरण (आईआरएसी) के लिए किए गए प्रावधान और एनपीए (फंसे हुए कर्ज) के लिए किए गए वास्तविक प्रावधान की भी जानकारी दी जाए यह परिपत्र नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के 25 फरवरी के आदेश के बाद जारी किया गया है, जिसमें कहा गया था कि 'अपीलेट ट्रिब्यूनल की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी वित्तीय संस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज लि. या उसकी सहयोगी कंपनियों के खातों को एनपीए घोषित ना करें.' आरबीआई ने हालांकि उसके बाद इस दृष्टिकोण के खिलाफ कहा कि बैंकों को आईएलएंडएफएस और उसकी कंपनियों के खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए।

इस महीने की शुरुआत में, एनसीएलएटी में सुनवाई के दौरान आरबीआई के अधिवक्ता गोपाल जैन ने कहा कि बैंकों के खातों में सही प्रतिबिब निष्पक्ष लेखांकन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें शुरुआती चेतावनी के संकेत हैं। आरबीआई ने कहा कि यह एक प्रक्रिया है, जिसका सभी बैंकों को अनुसरण करना होता है, जिसमें 90 दिनों तक कर्ज की किश्तों का भुगतान नहीं होने पर उस खाते या कर्ज को एनपीए घोषित कर दिया जाता है।

राहत : जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बहाली के लिए कारोबारी 22 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे

–उद्योग विहार (मई 2019)–

गाजियाबाद। ऐसे कारोबारी जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन टैक्स रिटर्न नहीं भरने के कारण रद्द कर दिया गया था, वे 22 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन की बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं। पर पहले उन्हें पेंडिंग रिटर्न भरने के साथ बकाया टैक्स भी चुकाना होगा। राजस्व विभाग ने इसकी अनुमति दे दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने अपने फील्ड ऑफिसों को पत्र के जरिए इस बारे में सूचित किया है।

जीएसटी के तहत 1.2 करोड़ कारोबारी रजिस्टर्ड

जिन कारोबारियों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2019 तक रद्द किए गए हैं, उन्हें इसकी बहाली का मौका एक बार ही मिलेगा। सीबीआईसी ने इस माह की शुरुआत में फील्ड ऑफिसरों को ऐसे कारोबारी जिनके रजिस्ट्रेशन जीएसटी नियमों का पालन नहीं करने से रद्द हुए हों, उनका नया रजिस्ट्रेशन करने में सावधानी बरतने को कहा था। इसका उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना था। जीएसटी व्यवस्था एक जुलाई 2017 से लागू हुई थी। इसके तहत रजिस्टर्ड कारोबारियों की संख्या करीब 1.2 करोड़ है। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के पार्टनर रजत मोहन ने कहा, सीबीआईसी द्वारा दिए गए इस मौके का फायदा ऐसी छोटी कंपनियां उठा सकेंगी जिनका अनजाने में नियमों का पालन नहीं होने से रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया था। कंपनियां रजिस्टर्ड

- कंपनियां रजिस्टर्ड ऑफिस की फोटो और अन्य डिटेल 15 जून तक कंपनी मामलों के मंत्रालय में जमा कर सकेंगी

ऑफिस की फोटो और अन्य डिटेल 15 जून तक कंपनी मामलों के मंत्रालय में जमा कर सकेंगी।

इसकी समय सीमा 25 अप्रैल को खत्म हो रही थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। शेल कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए मंत्रालय ने फरवरी में एक्टिव–1 फॉर्म जारी किया था। इसे ऑनलाइन जमा करना है। यह 1 जनवरी 2018 से पहले बनी कंपनियों के लिए जरूरी है।

बेटियों को स्वस्थ व स्वच्छ रहने के टिप्स

गाजियाबाद। सीएसएचपी पब्लिक स्कूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जन मानव उत्थान समिति ने स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत अभियान के तहत बच्चों का जागरूक किया। 300 बेटियों को जागरूक करने के साथ–साथ सभी को फ्री सेनेट्री पैड भी वितिरित किए गए।गाइनो की दिक्कत से कैसे बचें और कैसे स्वस्थ रहें इस विषय पर स्कूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्कूल प्रभारी इंदु बोहरा ने कहा कि समिति का उद्देश्य देश की बेटियों को जागरूक करना है। संस्था की महासचिव डॉ. नीतू चौधरी ने सभी बेटियों को और स्कूल की लेडी स्टाफ को स्वस्थ और स्वच्छ रहने के टिप्स दिए। अध्यक्ष हिमांशी शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निधि चौधरी, सविता गुप्ता एवं प्रधानाचार्य ममता शर्मा, हेमलता सिसौदिया, वीना सिंह, कमलेश, राजवती, कविता रानी, श्रुति जामवाल, ललिता देवी मौजूद रहे।

पूर्वन्याय का सिद्धांत श्रम/औद्योगिक मामलों पर भी लागू होगा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीपीसी की धारा 11 में जिस पूर्वन्याय के सिद्धांत को परिभाषित किया गया है वह श्रम/औद्योगिक कार्रवाई पर भी लागू होगा। वर्ष 2004 में केरल सरकार ने श्रम अदालत से पूछा था कि क्या एफएसीटी लिमिटेड उदयोगमंडल का 1978 के पूर्व के कर्मचारियों के रिटायर होने की उम्र को 60 वर्ष से घटाकर 58 कर देना न्यायपूर्ण है या नहीं? इस संदर्भ का उत्तर देते हुए श्रम अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए गए फैसलों में इस मुद्दे को पहले ही तय कियाजा चुका है और इस बारे में विशेष अनुमति याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खघरिज किए जाने के बाद यह निर्णय अब अंतिम है और इसलिए अब यह पूर्वन्याय के सिद्धांत के तहत आता है। हाईकोर्ट ने मजदूर संगठनों की अपील पर कहा कि राज्य सरकार

ने श्रम अदालत से जो पूछा था तो पूर्वन्याय के सिद्धांत के अनुरूप इस पर रोक नहीं है। एकल पीठ ने सभी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन का 30: हिस्सा मुआवजा के रूप में देने का फैसला सुनाया। यह राशि उनको नौकरी पर दुबारा नहीं रखने के लिए दिया गया मुआवजा था। खंडपीठ ने इस फैसले को सही ठहराया था। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के तीन पुराने फैसलों को उद्धृत किया जिससे स्पष्ट होता है कि पूर्वन्याय का सिद्धांत श्रम प्रक्रिया पर लागू होता है कि नहीं यह अब ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके बारे में निर्णय नहीं आया है। आरसी तिवारी बनाम एमपी राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड पांडिचेरी खादी एंड विलिज इंडस्ट्रीज बोर्ड बना पी कूलोथंगन – अन्य इग्जेक्युटिव इंजीनियर, जेडपी इंजीनियरिंग डिविजन – अन्य बनाम दिगम्बर राव – अन्य कोर्ट ने कहा कि राज्य के पास यह अधिकार नहीं है कि आईडी अधिनियम की धारा 10 के तहत इस मामले को श्रम अदालत के पास भेजने का अधिकार राज्य के पास नहीं है। इसलिए अदालत ने इस अपील को स्वीकार कर लिया।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
राष्ट्रीय
07
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, मई, 2019
P.

सुप्रीम कोर्ट ने वकील को जारी किया नोटिस, दावा किया कि उसे सीजेआई पर आरोप लगाने के लिए 1.5 करोड़ का ऑफर दिया गया

—उद्योग विहार (मई 2019)—

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ एक पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर लिए संज्ञान मामले को बुधवार के लिए टाल दिया है।

अदालत ने पूछा, 'वकील उत्सव बैंस कहाँ हैं?'

मंगलवार को जैसे ही न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने खचाखच भरी अदालत में मामले की सुनवाई शुरू की तो पीठ ने पूछा कि इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने वाले वकील उत्सव बैंस कहां हैं जिन्होंने दावा किया है कि उन्हें सीजेआई को दोषी ठहराने में उनकी सहायता के लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी?

बैंस को बुधवार को अदालत में होना होगा पेश

जवाब ना मिलने पर पीठ ने बैंस को नोटिस जारी कर बुधवार को अदालत में पेश होने को कहा है। पीठ ने बैंस से उनके हलफनामे में मौजूद पैरा 17 और 20 पर भी सफाई मांगी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक कॉरपोरेट हस्ती ने सुप्रीम कोर्ट के जज से मिलकर अपने पक्ष में फैसला लेने की कोशिश की थी और वो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल लोगों के नाम सीलकवर में अदालत को दे सकते हैं। अपने फैसले में पीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को

वकील बैंस को सुरक्षा मुहैया कराने और बुधवार को कोर्ट में उनकी पेशी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

उत्सव बैंस का अदालत में हलफनामा

सीजेआई के खिलाफ आरोपों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई मुकदमे की कार्यवाही में वकील उत्सव बैंस ने दायर एक हलफनामे में यह कहा है कि 4 अप्रैल को एक अज्ञात व्यक्ति, जिसने खुद को 'अजय' के रूप में पेश किया, ने उनसे संपर्क किया और बताया कि वो आरोप लगाने वाली (सीजेआई पर) पूर्व जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का रिश्तेदार है और सीजेआई द्वारा पूर्व कर्मी और उसके परिवार को सताया जा रहा है।

सीजेआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदले पैसों की पेशकश

बैंस ने कहा कि जब वो आरोपों की सच्चाई के बारे में आश्वस्त नहीं हुए तो 'अजय' ने पीड़ित महिला के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब दिए। श्अजयश ने अचानक ट्रैक बदल दिया और बैंस से अनुरोध किया कि वे सीजेआई के खिलाफ आरोपों को हवा देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था करें और इसके बदले में वे 50 लाख रुपये ले लें।

अनिच्छा व्यक्त करने पर रकम को बढ़ाया गया

शपथ पत्र में कहा गया कि जब उन्होंने ऐसा करने की अनिच्छा व्यक्त की तो इस प्रस्ताव को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दिया गया। हलफनामे में कहा गया है कि बैंस द्वारा की गई पूछताछ से पता चला है कि यह 'फिक्सर' द्वारा एक साजिश थी।

'फिक्सर हैं इस साजिश के पीछे'

शपथपत्र में कहा गया कि, ''डिपॉजिटर को विश्वसनीय सूत्रों द्वारा सूचित किया गया कि कुछ शफिक्सरश, जो दावा करते हैं कि पैसे के बदले में अवैध रूप से फैसले दिए जा रहे हैं, इस साजिश के पीछे हैं क्योंकि माननीय सीजेआई ने ऐसे फिक्सर पर नकेल कसने के लिए कई निर्णायक कार्रवाई की है।'' कहा गया कि ''नाम न छापने की शर्त पर एक विश्वसनीय व्यक्ति'' ने उसे बताया कि ष्माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से संपर्क करने की कोशिश करने वाले कॉरपोरेट व्यक्ति ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध एक हाई–प्रोफाइल मामले में एक अनुकूल आदेश प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे और तब उक्त कॉरपोरेट हस्ती ने उस सर्वोच्च न्यायालय के जज से मामले को स्थानांतरित करने का प्रयास किया, लेकिन वे फिर सफल नहीं हुए और इस तरह रोमेश शर्मा और उनके सहयोगियों द्वारा सीजेआई को फंसाने के लिए एक कथित फिक्सर के साथ ये सब किया गया ताकि वो दबाव में इस्तीफा दे दें।'' हलफनामे में आगे यह भी कहा गया है कि रोमेश शर्मा ने असंतुष्ट कर्मचारियों और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व कर्मचारियों के साथ भी ये साजिश रची थी।

नरेश अग्रवाल एवं दाऊद इब्राहिम के नाम का शपथपत्र में जिक्र

बैंस ने आरोप लगाया है कि जेट एयरवेज के पूर्व मालिक नरेश गोयल ने 'रोमेश शर्मा' के माध्यम से सीजेआई को रिश्वत देने की कोशिश की थी, जिसे बॉम्बे ब्लास्ट केस के आरोपी दाऊद इब्राहिम ने गोयल से मिलवाया था। उन्होंने 'सील कवर' में अधिक विवरण प्रस्तुत करने की पेशकश की है, और यह कहा है कि वह स्रोतों के नाम साझा नहीं कर सकते क्योंकि वे 'अधिवक्ता अधिनियम के तहत विशेषाधिकार प्राप्त संचार' हैं।

बैंस ने खुद की जान को बताया खतरे में

बैंस ने खुद की सुरक्षा को लेकर डर भी व्यक्त किया और कहा कि इस बात से भी अवगत है कि रोमेश शर्मा और नरेश गोयल के दाऊद इब्राहिम के साथ स्थापित संबंधों के कारण इस हलफनामे को दायर करने के बाद उनका जीवन खतरे में आ जाएगा।

'असंतुष्ट जजों की लॉबी'

बैंस ने 20 अप्रैल को शाम 6.50 बजे इस मुद्दे पर एक फेसबुक पोस्ट किया था जहां उन्होंने कहा था कि वह एक लॉबी द्वारा सीजेआई के खिलाफ साजिश के साक्ष्य पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करेंगे। असंतुष्ट जजों, फिक्सर, कॉरपोरेट घोटालेबाजों और कुछ भ्रष्ट राजनेताओं सभी ने सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से सीजेआई को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने की कोशिश की है, क्योंकि उनके भ्रष्ट कार्य सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहे हैं।

पत्नी के लिए नया गैस कनेक्शन लेने के लिए करे भुगतान

घरेलू हिंसा के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पति को दिया निर्देश आर्डर

—उद्योग विहार (मई 2019)—

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले दिनों ही एक जीवेश शेट्टी नामक व्यक्ति को निर्देश दिया है कि वह अपनी पत्नी के नाम नया गैस कनेक्शन लेने के लिए पैसों दे। उसकी पत्नी ने कोर्ट को बताया था कि 16 मार्च को उसकी सास उनके वैवाहिक घर से कुकिंग गैस, फ्रीज व वाशिंग मशीन को उठाकर ले गई। जस्टिस मृदुल भटकर इस मामले में शेट्टी की तरफ से दायर एक आपराधिक रिट पैटिशन पर सुनवाई कर रहे थे। जिसमें सेशन कोर्ट के 11 अप्रैल 2019 के आदेश को चुनौती दी गई थी। अपने आदेश में सेशन कोर्ट ने शेट्टी को निर्देश दिया था कि वह सभी सुविधाएं अपनी पत्नी व पांच साल के बच्चे के वापिस उपलब्ध कराए, जो उनसे ले ली गई थी। यह आदेश शेट्टी की पत्नी की तरफ से दायर एक अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया था। जिसमें शेट्टी की पत्नी ने कहा था कि उसकी सास उसके घर से वाशिंग मशीन,फ्रीज को उठाकर ले गई। इतना ही नहीं उसे गैस सिलेंडर व वाटर फिल्टर भी प्रयोग नहीं करने दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिटायर्ड जस्टिस डी.के देशमुख को बतौर मध्यस्थ नियुक्त किया है ओर मामले में समझौते के लिए दो मई 2019 की तारीख तय की है। प्रतिवादी पत्नी के वकील वेजले मेनेजेस ने दलील दी कि उसकी मुविक्कल घर में बिना कुकिंग गैस, फ्रीज व वाशिंग मशीन के रह रही है। जबकि उनके घर में गैस कनेक्शन और गैस स्टोव है। सिलेंडर खाली पड़े है। गैस कनेक्शन उसकी सास के नाम है। परंतु वह उनको इस गैस कनेक्शन का उपभोक्ता नंबर नहीं दे रही है। इसलिए प्रतिवादी पत्नी घर में खाना नहीं बना पा रही है और इसके लिए पड़ोसियों के गैस कनेक्शन पर निर्भर है। उसके पास एक पांच साल का बच्चा है,इस कारण उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता पति के वकील प्रशांत अहीर ने दलील दी कि सेशन कोर्ट का आदेश अवैध है और उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। सेशन कोर्ट के समक्ष दायर अर्जी में प्रतिवादी पत्नी ने बनावटी असुविधा दिखाई है। ताकि उसे सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाया जा सके।

कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई 3 मई 2019 के लिए तय की गई है। इस दौरान प्रतिवादी पत्नी चाहे तो अपने नाम नए गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकती है। वहीं याचिकाकर्ता पति को निर्देश दिया जाता है कि वह नए गैस कनेक्शन, रेगुलेटर व गैस–स्टोव का खर्च दे। यह पैसा महिला को दिए जा रहे गुजारे भत्ते की राशि से अलग होगा।

उपभोक्ता फोरम ने बाटा को ग्राहकों से कैरी बैग के लिए 3 रुपये का भुगतान करने के लिए 9000 रुपये का जुर्माना लगाया

—उद्योग विहार (मई 2019)—

नई दिल्ली। शिकायतकर्ता ने चंडीगढ़ के एक उपभोक्ता फोरम को बताया कि बैग के लिए उसे चार्ज करके, बाटा बैग पर अपने ब्रांड का समर्थन कर रहा था जो उचित नहीं था। सेवाओं में कमी के

लिए बाटा इंडिया लिमिटेड को एक उपभोक्ता को 9,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया है। ग्राहक द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, चंडीगढ़ के एक उपभोक्ता फोरम ने बाटा को थप्पड़ मारने के लिए कहा ताकि ग्राहक को पेपर बैग के लिए 3 रुपये का भुगतान किया जा सके।

चंडीगढ़ निवासी दिनेश प्रसाद रतूड़ी ने अपनी शिकायत में उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने 5 फरवरी को सेक्टर 22 डी स्थित बाटा स्टोर से एक जोड़ी जूते खरीदे थे। स्टोर ने उनसे 402 रुपये लिए, जिसमें पेपर बैग के लिए शुल्क भी शामिल था। रतूड़ी ने मंच से कहा कि बैग के लिए उसे चार्ज करके, बाटा बैग पर अपने ब्रांड का समर्थन कर रहा था जो उचित नहीं था। शिकायतकर्ता ने 3 रुपये की वापसी और सेवाओं में कमी के लिए मुआवजे की मांग की। इस पर पलटवार करते हुए, बाटा इंडिया ने सेवाओं में कमी के आरोपों का खंडन किया।

फोरम ने कहा कि एक ग्राहक को पेपर बैग के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर करना सेवा में एक स्पष्ट कमी थी क्योंकि यह ग्राहक को मुफ्त बैग प्रदान करने के लिए स्टोर का कर्तव्य था, जिन्होंने अपने उत्पाद को खरीदा था। उपभोक्ता फोरम ने बाटा इंडिया को अपने ग्राहकों को मुफ्त पेपर बैग उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। यह भी देखा गया कि अगर कंपनियां वास्तव में पर्यावरण के बारे में चिंतित थीं, तो उन्हें अपने ग्राहकों को मुफ्त पर्यावरण के अनुकूल बैग प्रदान करना चाहिए।

सेवाओं में कमी के कारण मानसिक पीड़ा के लिए बाटा को ग्राहक को मुआवजे के रूप में 3000 रुपये देने के लिए कहने के अलावा, मंच ने अग्रणी जूता ब्रांड को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के कानूनी सहायता खाते में 5,000 रुपये जमा करने का भी निर्देश दिया है।

चंडीगढ़ उपभोक्ता फोरम का फैसला स्टोर के लिए एक आंख खोलने वाला है जो ग्राहकों को कैरी बैग के लिए पांच रुपये तक का भुगतान करने के लिए मजबूर करता है।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, मई, 2019

किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में फौजियों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है: मृणालिनी सिंह

गाजियाबाद के सांसद जनरल वी के सिंह की बड़ी सुपुत्री मृणालिनी सिंह एक ऐसी भावुक और साहसिक महिला हैं जिनको अपने जनरल पिता पर बहुत अभिमान है। और हो भी क्यों न, जनरल वी के सिंह ने देश का मान और सम्मान हमेशा बढ़ाया है चाहे जब वे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन थे या आजकल जब वे केन्द्रीय मन्त्री हैं। उनके ऊपर तो पूरे देश को गर्व है फिर उनकी लाड़ली बेटी उनके ऊपर क्यों फख्र न करे? मृणालिनी जनरल वी के सिंह को अपना आदर्श मानती हैं। मृणालिनी की शादी भी एक फौजी परिवार में हुई है। इनके पति संग्राम सिंह फौज में कर्नल हैं। इनके एक बेटे विक्रमादित्य हैं जो अभी पढाई कर रहे हैं। मृणालिनी ने सिम्बायोसिस से एम बी ए किया हुआ है। इनसे (उद्योग विहार) के एडिटर इन चीफ (सत्येन्द्र सिंह) से बातचीत के कुछ अंश आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं।उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ सभी प्रश्नों का जवाब दिया है।

सत्येन्द्र सिंह – आप एक फौजी परिवार से हैं आपको कैसा महसूस होता है ?

मृणालिनी सिंह – हाँ, मुझे गर्व है की मैं एक फौजी परिवार से हूँ। मेरे दादा और परदादा भी फौजी थे। मेरा दादा. जी कर्नल के पद से रिटायर हुए और मेरे परदादा जी सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हुए थे। इसके चलते ही देश प्रेम और देश भक्ति की भावना तो हमारे खून में रच बस गयी है।मेरी शादी भी एक फौजी से ही हुई है और मेरे पति भी कर्नल हैं। हमारे परिवार में ही देश भक्ति की भावना थी वही मेरे अंदर भी आ गयी।

सत्येन्द्र सिंह – आपको अपने पिता की क्या बातें प्रभावित करती हैं ?

मृणालिनी सिंह – मेरे पिता जनरल साहब की स्कूलिंग बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी में हुई है और उन्होंने अपनी स्कूलिंग से लेकर फौज तक में हर कोर्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वे देश के पहले ऐसे आर्मी चीफ थे जिन्होंने अमेरिका से रेंजर्स की ट्रेनिंग प्राप्त की थी और उसमें भी वे अव्वल रहे थे यह दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है जो भारत में होने वाली कमाण्डो ट्रेनिंग से काफी बेहतर होती है। और उनका नाम "हाल ऑफ फेम" में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया था। जो की हमारे देश के लिए गर्व की बात है।

सत्येन्द्र सिंह – वर्ष 2014 में जब मोदी सरकार को बने हुए कुछ ही दिन हुए थे और आप ओ आर ओ पी को लेकर जन्तर–मन्तर पर सैनिकों के साथ धरने पर बैठ गयी थी। सरकार के खिलाफ?

मृणालिनी सिंह – हाँ जी, मै उस समय बिलकुल सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी थी क्योंकि मैं भी फौजी परिवार से हूँ और मुझे मालूम है एक फौजी का दर्द। ओ आर ओ पी एक वाजिब मांग थी जो की बाद में मोदी सरकार ने पूरी की लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से लागू नहीं की गयी है उसे पूरी तरह से लागू करने की जरूरत है। मै सच को सच और गलत को गलत बोलने में कोई संकोच नहीं करती हूँ।

सत्येन्द्र सिंह – आप फौजियों के लिए क्या चाहती हैं। क्या सरकार फौजियों के लिए कुछ कर रही है ?

मृणालिनी सिंह – आप इस चुनाव में सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो को ध्यान से देखिये। किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में फौजियों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। उनके साथ यह व्यवहार क्यों हो रहा है? क्यों किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो पर फौजियों के लिए कुछ भी नहीं लिखा है ? क्योंकि उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। अभी आप उनको यह अधिकार दे दीजिये फिर देखिये कैसे फौजियों के हित के लिए तमाम एजेण्डे पार्टियों के मैनिफेस्टो पर दिखने लगेंगे।

सत्येंद्र सिंह – वैसे भारत में लोग फौजियों को बड़ी श्रद्दा एवं इज्जत से देखते हैं। आपका इस विषय में क्या विचार है ?

मृणालिनी सिंह – फौजियों को लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं आपकी बात सही है लेकिन आज भी अधिकांश लोग सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप्प तक ही अपनी देश भक्ति सीमित रखते हैं। पुलवामा अटैक हुआ लोगों ने बड़ी शान से दुःख जाहिर करते हुए अपनी संवेदनाएं फेसबुक और व्हाट्सएप्प पर जाहिर की लेकिन यह ट्रेंड कुछ ही दिन रहता है। जब एक फौजी ट्रेन में या बस में खड़ा होकर या अपने बक्से पर बैठ कर यात्रा करता है तो सभी अपनी अपनी सीट पर बैठे रहते हैं उस वक्त कोई भी अपनी सीट देने को क्यों नहीं आगे आता है ? तब आपकी देशभक्ति कहाँ चली जाती है ?

एक तरफ तो हम देश भक्ति की बात करते हैं दूसरी तरफ फौजियों के लिए कुछ नहीं करते हैं। यह बड़े अफसोस की बात है। मेरे पिता जनरल साहब ने 42 साल देश की सेवा फौज में रहकर की है लेकिन उनके अंतिम वर्षों में कांग्रेस की भ्रस्ट सरकार ने उनकी पेंशन रोक दी थी और उनको एक साल पहले सेवानिवृत्त करने जा रही थी। जब जनरल साहब गाजियाबाद लोकसभा सीट से लड़े तो उनको तो लोगों को निर्विरोध चुनना चाहिए था। लोगों को सोचना चाहिए था की हमें एक ईमानदार आदमी मिल रहा है। मै तब जानती जब कोई भी पार्टी जनरल साहब के खिलाफ कोई उम्मीदवार न उतारती।

सत्येंद्र सिंह –देश भक्ति को आप किस नजरिये से देखती हैं ?

मृणालिनी सिंह – देखिये यदि आप देश भक्त थे तो आपने या आपकी संस्था उत्थान समिति ने गाजियाबाद सेन्ट्रल पार्क में इतना सुन्दर तिरंगा लगवाया। अब वहाँ की खूबसूरती बढ़ गयी है। मै यह सोचती हूँ की क्या इतने बड़े गाजियाबाद में किसी ने भी इस तरफ नहीं सोचा, किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया सिर्फ आपने ही क्यों सोचा ? आज सवा सौ करोड़ की जनसंख्या वाले देश में बहस हो रही है की जन गण मन होना चाहिए या नहीं। यह बहुत ही शर्म की बात है। देश भक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं होती है उसके लिए आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है।

सत्येन्द्र सिंह – आपका इस बार गाजियाबाद का चुनाव कैसा रहा ? आपने जनरल साहब की कमी को पूरा करने की कोशिश की है ?

मृणालिनी सिंह – कोशिश, हाँ मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है की मैंने कोशिश ही की है। जनरल साहब पिछले सालों में अक्सर बाहर ही रहे हैं उनको मोदी जी ने हनुमान की पदवी दे रखी है उन्होंने विदेशों में फंसे कितने भारतीयों को अपने देश भारत सुरक्षित पहुँचाया है। इस वजह से वे बहुत अधिक समय नहीं दे पाए लेकिन वे देश सेवा ही करते रहे। देखिये इस बार मुझे बहुत दुःख हुआ, यहाँ के कुछ लोगों से। मै मानती हूँ की हम सभी की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह है होना चाहिए की आप किसी से व्यक्तिगत द्वेष करने लगें। कई बार मजबूरियां होती हैं जो की जनरल साहब की भी थी वह राजनीति में नए थे, अब हमें भी समझ में आ गया है की राजनीति में लोगों की अपेक्षाएं आपसे बहुत अधिक होती हैं और जब आप उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते हैं तो लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। राजनीति में लोग अपना हित अधिक ढूंढ़ते हैं। हमें बहुत बुरा लगा जब यहाँ जनरल साहब के खिलाफ बाहरी के नारे लगाए गए , उनका तो पूरा देश है फिर वो यहाँ पर कहाँ से बाहरी हो गए। हमारी दादी यहीं जेवर की ही हैं और आप हमको बाहरी कह रहे हैं, शर्म की बात है।

सत्येन्द्र सिंह – गाजियाबाद पाँच साल पहले और आज में क्या अन्तर है ?

मृणालिनी सिंह – आज बहुत सुन्दर हो गया है हमारा गाजियाबाद। आज यहाँ पर एलिवेटेड रोड है , हवाई अड्डा है , शहर हरा भरा और खूबसूरत हो गया है।इस शहर को खूबसूरत बनाने में यहाँ की डी एम रितु माहेश्वरी, नगर आयुक्त सी पी सिंह, और जीडीए वीसी कंचन वर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। साथ में उदिता त्यागी का भी बहुत बड़ा योगदान है शहर को पेंटिंग्स से खूबसूरत बनाने में। अभी एन एच –24 (मेरठ एक्सप्रेस–वे) का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है अगले साल यह भी चालू हो जायेगा। रैपिड रेल पर भी काम चालू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी अगले कुछ वर्षों में बन कर तैयार हो जायेगा। फिर सोचिये और कल्पना करिये की हमारा गाजियाबाद कितना खूबसूरत लगेगा।

सत्येन्द्र सिंह – मोदी जी के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

मृणालिनी सिंह – मोदी जी को जब मै देखती हूँ तोमुझे उनके ऊपर बड़ा तरस आता है सोचती हूँ की ये बेचारे कितना संकल्प देश के लिए लेकर बैठे हुए हैं और लगातार, दिन रात देश सेवा में लगे हैं। अगर मोदी जी जैसे सभी हो जाएँ तो यह देश सुधर जायेगा। अब वक्त आ गया है की हर इंसान को बदलना होगा तभी देश बदलेगा।

- ओ आर ओ पी अभी भी वो पूरी तरह से लागू नहीं की गयी है उसे पूरी तरह से लागू करने की जरूरत है।
- जनरल साहब ने 42 साल देश की सेवा फौज में रहकर की है।
- हमें बहुत बुरा लगा जब यहाँ जनरल साहब के खिलाफ बाहरी के नारे लगाए गए।
- आज सवा सौ करोड़ की जनसंख्या वाले देश में बहस हो रही है की जन गण मन होना चाहिए या नहीं।
- आज बहुत सुन्दर हो गया है हमारा गाजियाबाद।
- अगर मोदी जी जैसे सभी हो जाएँ तो यह देश सुधर जायेगा।
- महिला सशक्त कब नहीं थी वह तो शुरू से सशक्त रही है।
- भारतीय संस्कार हम लोग भूलते जा रहे हैं।

सत्येन्द्र सिंह – आप महिला सशक्तिकरण पर कुछ कहना चाहेंगी ?

मृणालिनी सिंह – मेरे हिसाब से यह सब फिजूल की बातें हैं। आप यह बताइये महिला सशक्त कब नहीं थी वह तो शुरू से सशक्त रही है। मेरी दादी चूल्हे में खाना बनाती थी। महिलाएं पानी भी भर कर लाती थीं। खाना बनाती थी, गाय को महिलायें दुहती थी और पूरा घर भी संभालती थी। तो वे कैसे सशक्त नहीं थीं मेरे हिसाब से वे बिलकुल सशक्त थीं। आज कल सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बातें सोशल मीडिया या टी वी पर दिखाई देती हैं। वही महिलायें अपने बच्चों को दूसरे के घरों में छोड़ जाती हैं दूसरों के भरोसे क्या यह सही है मैंने तो कभी अपने बच्चे को इस तरह नहीं छोड़ा। अभी जब उनसे कहा जाये की आप अपने पर्स को किसी के भरोसे छोड़ दो तो नहीं छोड़ेंगी, कहेंगी की नहीं यह तो बहुत कीमती है। अरे क्या आपके बच्चे से अधिक कीमती है ? तो अब हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है।

सत्येन्द्र सिंह – भारतीय संस्कार आज पश्चिमी सभ्यता के आगे बौने हो रहे हैं, क्या कारण है ?

मृणालिनी सिंह – भारतीय संस्कार हम लोग भूलते जा रहे हैं लेकिन आज पूरा विश्व भारत की तरफ उसके संस्कारों की वजह से ही देख रहा हैं। आज जब हमारे बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम अपने बच्चे को केक कटवाते हैं। हमारा बच्चा बात नहीं मानता है तो कहते हैं की बात नहीं मानता है, इसका मतलब आपकी पेरेंटिंग में कुछ कमी है। बच्चा माल में जन्म दिन मनाने जाता है और हम खुशी खुशी भेजते हैं। क्या यह भारतीय संस्कार हैं। हमारे घर में अगर आज भी मेरे पिता जी ने कह दिया कि यह होना है तो मजाल है कि हम कुछ भी बोल सकें। हमारे बच्चे का जन्म दिन होता है तो हम हलवे का प्रसाद बांटते हैं। हम मंदिर जाते हैं। लेकिन अपने संस्कारों को नहीं भूलते हैं।

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
फोन : 0120–4122901 / 4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460 / 9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह